

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

पत्रांक-भवन, भोपाल - 462004
=====



क्रमांक-एफ 73- 22 / 20-3/2005
प्रति,

भोपाल, दिनांक -

15, 2005

तपन,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय :- अशासकीय संस्था भारत माता विद्यालय, बिन्दवाड़ा (पञ्जाब)
को सी. बी. एस. ई. / ~~अ. सी. एस. ई.~~ से सम्बन्धता हेतु सन.ओ.सी.
देने बाबत।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय संस्था भारत माता विद्यालय, बिन्दवाड़ा
को सी. बी. एस. ई. / ~~अ. सी. एस. ई.~~ नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनारक्षित
प्रमाण पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी
को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे
प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रचारक (परीक्षा) को
या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना
होगा।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों
में यदि संस्था से किन्हीं कारणों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कारणों
को संस्था को करना होगा।
04. केलकुद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है।
परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
को इनके किसी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो
उपलब्ध कराना होगा।

05. राष्ट्रीय कार्यश्रमों को संयोजित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
साधा आदेशानुसार

॥ आर. आर. उदिरवार ॥

उपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

प. क्र. सं. 73 - 22 / 20-3/2005

भोपाल, दिनांक - 6 जून, 2005

प्रतिनिधि :-

1. आचार्य, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश विद्यापीठ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - बिलासपुर (मध्य प्रदेश)
3. प्राचार्य, आर. संस्था भारत भारती विद्यालय, नरसिंहपुर रोड, बिलासपुर
को और आवश्यक सर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिसूचित है।

उपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

4/6/05